प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 24.05.2025

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन व 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 22.05.2025 को थाना टीला मोड़ पर वादी मो0 सारिक पुत्र श्री मो0 शरीफ निवासी म0नं0 587 नियर जन्नति मस्जिद गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 20.05.2025 को मेरी मोटर साइकिल घर के सामने खड़ी थी, अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मोटर साइकिल को चोरी कर लिया गया। तत्काल थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा बीएनएस की धारा 303(2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 23.05.2025 को उक्त घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. शावेज पुत्र बलेदीन मूल निवासी ग्राम पलडे थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर, हाल किराये का मकान जामा मस्जिद के पास गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 बर्ष, 2. भरत पुत्र अनिल कुमार मूल निवासी ग्राम रजपुरा थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर, हाल पता एम 32 इरशाद गार्डन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को डिफ्रेन्स कॉलोनी के पास थाना टीला मोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त शावेज व भरत के विरुद्ध धारा 303(2),304,317(2),317(5) बीएनएस में अभियोग पंजकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त शावेज व भरत से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्तगण के द्वारा उक्त मोटर साइकिल को दिनांक 20.05.2025 को गारिमा गार्डन थाना टीला मोड़ क्षेत्र से चोरी किया था तथा दोनों अभियुक्तगण ने मिलकर एक मोबाइल फोन को तीन-चार दिन पहले भोपुरा ठेके के पास एक ढाबा से चार्जिंग पर लगा हुआ चुराया था। दूसरे मोबाइल फोन को 03-04 महीने पूर्व पसौंड़ा थाना टीला मोड़ क्षेत्र से एक मकान से चोरी किया था तथा तीसरे मोबाइल फोन को करीब 03 महीने पूर्व मैन डीएलएफ के पास ऑटों में बैठी महिला के बैग से चोरी किया था। अभियुक्त शावेज व भरत दिनांक 23.05.2025 को मोटर साइकिल व मोबाइल फोन को बेचने की फिराक में डिफ्रेन्स कॉलोनी के पास थाना टीला मोड़ क्षेत्र में घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शावेज पुत्र बलेदीन मूल निवासी ग्राम पलडे थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर, हाल किराये का मकान- जामा मस्जिद के पास गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 बर्ष।
2. भरत पुत्र अनिल कुमार मूल निवासी ग्राम रजपुरा थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर, हाल पता एम 32 इरशाद गार्डन थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 20 बर्ष।

बरामदगी का विवरण –

- चोरी 03 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त-

- गिरफ्तार अभियुक्त शावेज व भरत के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 24.05.2025 को थाना खोड़ा पर वादी जावेद पुत्र मुन्ना खॉ निवासी लोकप्रिय विहार खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 23.05.2025 को मेरे पड़ोस में रहने वाले साहिल, सौकीन, इन्तिजार, अब्बास,02 महिला सभी ने मिलकर मेरे परिवार वालों के साथ धारदार हथियार, चाकू व लाठी डन्डो से मारपीट की है। जिसमें मेरे भाई जुनैद के सिर व हाथ में गम्भीर चोर आई है। तत्काल थाना खोड़ा पुलिस द्वारा वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 191(2),191(3),115(2),352,351 (2),118(2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 24.05.2025 को ही नामजद अभियुक्त 1. साहिल पुत्र शौकीन निवासी लोकप्रिय विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष, 2. शौकीन पुत्र अब्बास निवासी लोकप्रिय विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को इनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त साहिल व शौकीन के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्त व अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त साहिल व शौकीन से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तों व वादी जावेद दोनों आपस में पड़ोसी है। प्रतिवादी पक्ष के द्वारा वादी के भाई जुनैद पर समझौता कराने के लिये दबाब बना रहे थे। वादी के भाई जुनैद ने समझौता करने से मना करने पर प्रतिवादी पक्ष ने दिनांक 23.05.2025 वादी के परिवार वालो के साथ धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे वादी के भाई जुनैद के सिर में 08 टॉके व हाथ की नस कट जाने के कारण वादी का भाई जुनैद की हालत गम्भीर है, उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती है। जिसका इलाज चल रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. साहिल पुत्र शौकीन निवासी लोकप्रिय विहार खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
2. शौकीन पुत्र अब्बास निवासी लोकप्रिय विहार खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त साहिल व शौकीन के विरुद्ध थाना खोड़ा पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-
थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा वादी के पुत्र को जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 23.05.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री नसीम पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी ए 366 शहीदनगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि मेरे पुत्र अरमान हुसैन जोकि अशरफ के कारखाने ए- 262 शहीद

नगर पर बोरिंग रिपेयर मकेनिक का कार्य करता है। दिनांक 21.05.2025 को अशरफ का भाई शादाब से मेरे पुत्र अरमान हुसैन का किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। शादाब ने उत्तेजित होकर मेरे पुत्र अरमान हुसैन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे मेरे पुत्र अरमान हुसैन के पेट की आते व हाथ की नश कट गई है। तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा धारा 325,109(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 23.05.2025 की रात्रि को ही उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त शादाब पुत्र अयूब निवासी ए 262 शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को ईदगाह शहीदनगर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त शादाब के विरुद्ध बीएनएस की धारा 325,109(1) में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त शादाब से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि वादी के पुत्र अरमान हुसैन अशरफ के कारखाने ए-262 शहीद नगर पर बोरिंग रिपेयर मकेनिक का कार्य करता है। दिनांक 21.05.2025 को अशरफ का भाई शादाब से मेरे पुत्र अरमान हुसैन का किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। शादाब ने उत्तेजित होकर मेरे पुत्र पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे मेरे पुत्र अरमान हुसैन के पेट का आते व हाथ की नश कट गई है। जिससे अरमान हुसैन की हालत गम्भीर है। जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शादाब पुत्र अयूब निवासी ए 262 शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त शादाब के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा वादी की कम्पनी जनरल इजि0 कारपोरेशन (इण्डिया) से पीतल का सामान चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 189.15 किलोग्राम पीतल का सामान व घटना में प्रयुक्त ई- रिक्शा बरामद।

दिनांक 24.05.2025 को थाना लिंक रोड़ पर वादी श्री प्रदीप तिवारी पुत्र जगत नारायण तिवारी जनरल मैनेजर इजि0 कारपोरेशन इण्डिया कम्पनी साइट-4 साहिबाबाद थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद की तहरीरी सूचना के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा कम्पनी जनरल इजि0 कारपोरेशन इण्डिया में से एस0एस0 पाईप व पीतल का सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्व अन्तर्गत धारा 305 बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्परता से कार्यवाही करते हुये मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान सर्विस रोड पर वेवइन कंपनी महाराजपुर के सामने थाना लिंक रोड़ से 02 अभियुक्त 1. पंकज पुत्र ब्रह्मपाल निवासी झुग्गी झोपड़ी पीएमडी रोड साइट-4 साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद मूल पता गांव कछला थाना उझानी जिला बदायूं उम्र करीब 24 वर्ष, 2. अंकज पुत्र ब्रह्मपाल निवासी निवासी झुग्गी झोपड़ी पीएमडी रोड साइट- 4 साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया थाना लिंक रोड गाजियाबाद मूल पता गांव कछला थाना उझानी जिला बदायूं उम्र करीब 18 वर्ष को गिरफ्तार किया गया व 02 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 189.15 किलोग्राम पीतल का सामान व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद हुआ। अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>:- गिरफ्तार अभियुक्त पंकज व अंकज से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनो अभियुक्तगण नशे के आदी है। नशे की पूर्ति के लिये बन्द मकान में चोरी करते है। दिनांक 22.05.2025 को अभियुक्त पंकज व अंकज ने 02 बाल अपचारी के साथ मिलकर जनरल इजि0 कारपोरेशन इण्डिया कम्पनी मे से एस0एस0 पाईप व पीतल का सामान 189.15 किलोग्राम चोरी किया था। जिसे बेचने की फिराक में सर्विस रोड पर वेवइन कंपनी महाराजपुर के सामने खड़े थे।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त</u>:-

1. पंकज पुत्र ब्रह्मपाल निवासी झुग्गी झोपड़ी पीएमडी रोड साइट 4 साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया थाना लिंक रोड गाजियाबाद मूल पता गांव कछला थाना उझानी जिला बदायूं उम्र करीब 24 वर्ष।
2. अंकज पुत्र ब्रह्मपाल निवासी निवासी झुग्गी झोपड़ी पीएमडी रोड साइट 4 साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया थाना लिंक रोड गाजियाबाद मूल पता गांव कछला थाना उझानी जिला बदायूं उम्र करीब 18 वर्ष।
3. 02 बाल अपचारी।

<u>बरामदगी का विवरण</u>:-

189.15 किलोग्राम पीतल के सामान व घटना में प्रयुक्त ई- रिक्शा बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त पंकज का आपराधिक इतिहास</u>:-

- गिरफ्तार अभियुक्त पंकज के विरुद्ध थाना लिंक रोड पर आर्म्स एक्ट का 02 अभियोग, चोरी का 01 अभियोग, चोर गिरोह का सदस्य होने का 01 अभियोग कुल 04 अभियोग पंजकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त अंकज का आपराधिक इतिहास</u>:-

- गिरफ्तार अभियुक्त अंकज के विरुद्ध थाना लिंक रोड पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम</u>:-

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम मे कमिश्रेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभारी पैरवी कर वादी की 12 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने की घटना को कारित करने वाले अपराधी को 2 वर्ष 6 माह के कारावास व 10 हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलवाई गयी।

दिनांक 13.12.2022 को थाना इंदिरापुरम पर वादी निवासी मकनपुर थाना इन्दिरापुरम द्वारा उनकी 12 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने के सम्बन्ध मे अभियुक्त राहुल उर्फ परिमल सरकार पुत्र दिनेश सरकार निवासी शिआलपारा थाना कुमारगंज तापन दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंगाल हाल निवासी ग्राम मकनपुर थाना इन्दिरापुरम के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर मु0अ0स0 1624/2022 धारा 363 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था।

1- उक्त अभियोग मे पीडिता को बंगाल से बरामद कर साक्ष्य सकंलन के आधार पर अभियुक्त राहुल उर्फ परिमल सरकार पुत्र दिनेश सरकार निवासी शिआलपारा थाना कुमारगंज तापन दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंगाल हाल निवासी ग्राम मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर भेजा

गया था तथा दिनांक 30.01.23 को अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 363,365 भा0द0वि0 मे आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

2- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से साक्षियो का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप दौराने विचरण मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद गाजियाबाद द्वारा अभियुक्त राहुल उर्फ परिमल सरकार पुत्र दिनेश सरकार निवासी शिआलपारा थाना कुमारगंज तापन दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंगाल हाल निवासी ग्राम मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद को 2 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास व 10,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।